सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 07 चैत्र, 1944 (श०)
28 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	02
(2) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	01
(3) गृह विभाग	..	..	03
(4) वित्त विभाग	..	..	01
		कुल योग --	07

पी0टी0सी0 करने का विचार

113. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)---क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार पुलिस की 1992 में बहाल सामान्य चालक सिपाही/हवलदार साक्षर संवर्ग सिपाही के पद पर प्रवेशिकोत्तीर्ण योग्यता के आधार पर चयनित होकर राज्य वरीयता सूचीबद्ध थे, जबकि सैन्य पुलिस स्थाई आदेश संख्या 74/99, ज्ञापांक 408/सै0पु0, दिनांक 5 मार्च, 1999 के विरुद्ध कुछ कर्मियों को करीब 20 साल रहने के पश्चात् सामान्य संवर्ग में प्रत्यार्पण कर दिया गया, गृह विभाग के ज्ञापांक 565 सै0पु0, दिनांक 18 अप्रील, 2019 के तहत ही आदेश दिया गया है कि साक्षर संवर्ग से सामान्य संवर्ग में जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कुल साक्षर संवर्ग के कर्मियों को पदोन्नति रद्द कर पुनः साक्षर संवर्ग में रख लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार साक्षर संवर्ग सिपाही को सामान्य सिपाही, हवलदार के पद पर दी गई पदोन्नति को समाप्त कर उक्त सभी साक्षर संवर्ग सिपाही को मूल कोटि में प्रत्यावर्तन करते हुये पी0टी0सी0 करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्भया फंड की राशि

'अ'-114. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)---क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार को निर्भया फंड के अन्तर्गत 81.7 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि 22 जुलाई, 2021 तक प्राप्त हुई, जिसमें से राज्य सरकार ने मात्र 37.97 करोड़ धनराशि खर्च की है, जबकि महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों में बिहार का स्थान देश में नौवां है, यदि हाँ, तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के मामले में बिहार का स्थान आगे रहने के बावजूद निर्भया फंड की राशि अबतक खर्च नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

115. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)---क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस हस्तक नियम 778 (सी) के तहत जिन पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि दो वर्ष से कम रह गयी है उनका स्थानांतरण गृह जिला में किया जा सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक वर्ष से इस नियम के तहत स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा गठित बोर्ड की कोई बैठक नहीं की गयी है जिस कारण काफी संख्या में पुलिसकर्मी इस लाभ से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभान्वित कराना

116. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)---क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की समाप्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 में हो गयी तथा षष्ठम राज्य वित्त आयोग वर्ष 2020-21 से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त शुरू किये जाने का लक्ष्य था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 षष्ठम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रत्याशा में पंचायती राज संस्थाओं को 2,626.22 करोड़ तथा शहरी निकायों को 1,125.52 करोड़ रुपया अनुदान दिया गया है ;

नोट---'अ'-समाज कल्याण विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

(3) क्या यह बात सही है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग हेतु गठित आयोग का प्रतिवेदन में लगभग 2 वर्ष विलम्ब होने से पंचायती राज्य/शहरी निकायों को अरबों रुपया अनुदान राशि का क्षति हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुदान राशि से वंचित संस्थाओं को लाभान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला बनाना

117. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 मार्च, 2022 को प्रकाशित समाचार के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल जो जिला से लगभग 70 किलो मीटर दूर, जिला के पूर्वी छोड़ पर है और हाजीपुर-वैशाली जिला के मुख्यालय तथा पटना के जिला मुख्यालय के करीब है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनपुर अनुमंडल के लोगों को जिला मुख्यालय में जिला एवं न्यायालय के कार्य के लिये जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सोनपुर अनुमंडल में 5 प्रखंड एवं आठ थाना है, जबकि पहले बिहार में 3-4 प्रखंडों को मिलाकर जिला बनाया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सोनपुर को जिला बनाने अथवा वैशाली-हाजीपुर या पटना जिला में मिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का क्रियान्वयन कराना

118. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 से 2009 के मध्य गन्ना उद्योग विभाग से प्रस्तावित, स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एस0आई0पी0बी0) से अनुमोदित एवं बिहार कैबिनेट द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2006 एवं 23 सितम्बर, 2008 द्वारा पारित 40 परियोजनाएँ इथेनॉल एवं चीनी उत्पादन से संबंधित है, जो लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाएँ कुल 20 हजार 231 करोड़ रुपये की है जिसके क्रियान्वयन से लगभग 22 हजार रोजगार एवं कई असंगठित रोजगार की स्थितियाँ भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन कबतक करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2006 में सर्वश्री इण्डियन गैसोहॉल लि0 द्वारा गन्ने की रस से सीधे इथेनॉल बनाने की 4 बिलियन डॉलर की परियोजना के लिये प्रस्ताव बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था । उस समय Sugarcane Control Order 1966 में इथेनॉल बनाने का कोई प्रावधान नहीं था । इसलिये इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव करने हेतु

Bihar Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) Amendment Bill, 2007 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित कर महामहिम राष्ट्रपति के सहमति हेतु भेजा गया था । परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा Sugarcane Control Order, 1966 में 28 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना के द्वारा बदलाव कर दिया गया जिसमें सिर्फ चीनी मिलों को गन्ने की रस से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गयी थी । इस अधिसूचना से बिहार में अलग से गन्ने की रस से इथेनॉल बनाने वाले निवेशक हतोत्साहित हो गये ।

केन्द्र सरकार द्वारा Sugarcane Control Order, 1966 में किये गये उपर्युक्त संशोधन पर पुनर्विचार हेतु तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा 20 फरवरी, 2008 के पत्र के माध्यम से तत्कालीन माननीय केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया था । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा भी 8 जून, 2008 को माननीय केन्द्रीय मंत्री, कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री शरद पवार जी को पत्र लिखकर 2007 के Sugarcane Control Order, 1966 में किये गये बदलाव पर पुनर्विचार करने तथा गन्ने की रस से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था । तत्कालीन माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री शरद पावर ने 9 जून, 2008 के पत्र के माध्यम से गन्ने को खाद्य फसल मानते हुये तथा खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुये ऐसा करने से मना किया । इसके कारण बिहार राज्य गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने हेतु बड़े निवेश से वंचित हो गया । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, विधि, श्री वीरप्पा मोइली से भी 27 दिसम्बर, 2010 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक Bihar Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) Amendment Bill, 2007 पर सहमति देने का अनुरोध किया था । परन्तु केन्द्र सरकार से इस पर भी कोई सहयोग नहीं मिल सका और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिल विधान मंडल के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दिया गया । तत्कालीन केन्द्र सरकार के नकारात्मक रूख के कारण बिहार को इथेनॉल हब बनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 4149, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 द्वारा Sugarcane Control Order, 1966 में संशोधन करते हुये गन्ने की रस/चीनी/चीनी सिरप अथवा शीरे से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी गयी है ।

यदि कोई निवेशक द्वारा बिहार में इथेनॉल एंव चीनी उत्पादन से संबंधित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

शर्तों का पालन सुनिश्चित कराना

119. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में नन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में भारत सरकार का पत्रांक 36012/12/13, दिनांक 8 सितम्बर, 1993 लागू है जिसमें 20 शर्तें हैं ताकि वास्तविक हकदार ही आरक्षण का लाभ ले सकें परंतु बिना इन शर्तों का अनुपालन किये राज्य में नन-क्रीमीलेयर का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार नन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट जारी करते समय भारत सरकार के पत्रांक 36012/12/13, दिनांक 8 सितम्बर, 1993 की शर्तों का पालन कबतक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93, दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 246, दिनांक 9 जून, 2004 द्वारा ओ०बी०सी० के आरक्षण के दायरे में सामाजिक रूप से उन्नत एवं सम्पन्न वर्गों को बाहर रखने के लिये आय के मानदंडों को परिचारित किया गया है । इस परिपत्र में निहित शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं है ।

(2) प्रश्न की कंडिका (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2022 (ई०) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 128(एल०एए०), 2021-22-डी०टी०पी०-550